Therefore, I urge upon the Government to take up these two proposals in Annual Plan for the current fiscal and carry out the work urgently.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri Jairam Ramesh; not present.

Demand to take strict measures to check the practice of profiteering on equipments and treatment required for heart-related ailments

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान हृदय रोग संबंधी चिकित्सा उपकरणों पर की जा रही मुनाफाखोरी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह हर्ष की बात है कि सरकार ने इस विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए फरवरी, 2017 में इन चिकित्सा उपकरणों की कीमत में 85% तक की कटौती की घोषणा की तथा नेशनल फार्मेस्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे देश के गरीब मरीजों को काफी राहत मिली है। अभी तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हमारे देश के मरीज सिर्फ स्टेंट को खरीदने में करते थे। इस संबंध में तमाम निजी अस्पताल और डाक्टर अभी भी इस कटौती का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अभी भी स्थिति यह है कि एक बैलून कैथेटर पर चिकित्सक, वितरक तथा विक्रेता मिलकर 500 फीसदी मुनाफा कमा रहे हैं। एक गाइडेड कैथेटर की कीमत 500/- रुपए तक आती है, जब कि इस उपकरण पर MRP 2800/- रुपए दिखाई जाती है। इसी तरह अन्य उपकरणों के दामों में भी खूब मुनाफाखोरी हो रही है। तमाम अस्पताल और क्लीनिक पैकेज के नाम पर गैर-जरूरी परीक्षणों को चिकित्सा में शामिल करके मरीजों का बिल कई गुना बढ़ा देते हैं। इन गैर-जरूरी परीक्षणों को और उपकरणों को हृदय संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए बाध्य करने वाले संस्थानों और डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका में इस संबंध में कानून इतने सख्त हैं कि 40 मिलियन तक की पेनल्टी लगाई गई है, जो कि इस अपराध के मुख्य प्रयोजन धनार्जन पर चोट करती है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करे।

Demand to give special finaicial grants for development works in resource-deficient villages of Haryana

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश, हरियाणा में काफी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके पास अपनी पंचायती जमीन न होने के कारण आय का कोई स्रोत नहीं है। सरकार की ओर से ऐसे गाँवों को बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। इस कारण ऐसे गाँव अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे गाँवों में न तो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ बेहतर हैं, न ही पक्की गलियाँ, न ही गंदे पानी की निकासी तथा पेय जल की व्यवस्था है, न ही पार्क तथा चौपालों आदि की सुविधाएँ हैं। ऐसे गाँव में शिक्षक पढ़ाने तथा डॉक्टर गाँव में नियुक्ति से कतराने लगते हैं। ऐसे गाँव उन गाँवों से पिछड़ गए हैं, जिनके पास अपने आय के साधन, अर्थात् पंचायती जमीन आदि हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है। समाज में ऐसे असंतुलन से एक खाई बन जाती है, जो द्वेष का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक संसाधनहीन गाँव हीन